समक्ष-राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल.

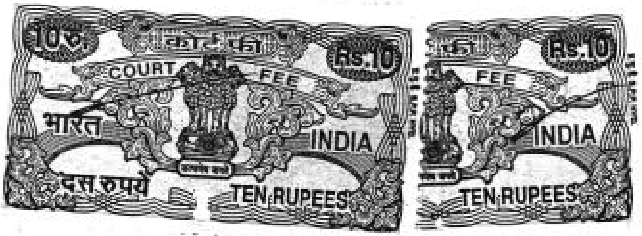

निगरानी 695-PBR-15

गयाप्रसाद आ. भगोनी मेहरा
निवासी डापका तह. पिपरिया
जिला होशंगाबाद ------ पुनरीक्षणकर्ता.

बनाम

श्री संदीप दुबे अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 25-3.15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत ।
25-3.15

1. जीवलाल आ. मांगीलाल मेहरा
निवासी डापका तह. पिपरिया
जिला होशंगाबाद.

2. लक्ष्मण प्रसाद आ. रामचरण मेहरा
निवासी ग्राम डापका तह. पिपरिया
जिला होशंगाबाद ---- अनावेदकगण.

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

M.F 145
5 7
CF 12515
30-3-15

माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय पिपरिया द्वारा रा.प्र.क्रं. 11अ/06 वर्ष 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 17.10.11 जिसके द्वारा ग्राम डापका की संशोधन पंजी क्रं. 11 आदेश 7.11.06 में म0प्र0भू0रा0संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के तहत तहसीलदार महोदय द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में म0प्र0भू0रा0संहिता की धारा 50 के तहत पुर्नवलोकन की अनुमति दी गयी और प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तीत किया है उक्त आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

--2.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 695–पीबीआर/15 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–5–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17–10–2011 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि संशोधन पंजी कमांक 11 आदेश दिनांक 7–11–2006 में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही नहीं की गई है, नामांतरण पंजी कमांक 11 आदेश दिनांक 7–11–2006 के पुर्नविलोकन की अनुमति दी गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	